अतिमहत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 1099 /नौ-1-2026-1973361

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक: 27 मार्च, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु 'वंदन' योजना' अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना' के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1009/9-1-2025/002-comp no.1876780 दिनाँक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या-1268/20025/003-comp no.1876780 दिनाँक 30.03.2025 द्वारा 131 परियोजनाओं हेतु धनराशि रू0-20052.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-6590.68 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर विकास विभाग के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक 2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के अन्तर्गत धनराशि रू0-150.00 करोड़ प्राविधानित की गयी है, जिसके सापेक्ष सम्प्रति धनराशि **₹14342.43 लाख** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अतएव उक्त मद में सम्प्रति धनराशि **₹657.57 लाख** रूपये अवशेष है।

3. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतो) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना के अंन्तर्गत शासनादेश संख्या-1009/9-1-2025/002-comp.no. 1876780, दिनांक 17.03.2025 एवं 1268/2025/003-comp. no.1876780 दिनाँक 30.03.2026 द्वारा 131 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू0-20052.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-

6590.68 लाख (रूपये पैसठ करोड़ नब्बे लाख अड़सठ हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित **07 परियोजनाओं** हेतु धनराशि **₹1023.18** लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष **प्रथम किश्त के रूप में दी गयी धनराशि ₹387.00** लाख के क्रम में प्राप्त **निविदा लागत धनराशि ₹1019.48 लाख** के सापेक्ष अवशेष सम्पूर्ण धनराशि को द्वितीय किश्त के रूप में कुल धनराशि **₹632.48 लाख (रूपये छः करोड़ बत्तीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की अनुमति प्रदान करती हैः-

धनराशि ₹ लाख में

क्र0 सं0	कार्य/ परियोजना का नाम	मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	परियोजना हेतु स्वीकृत निविदा (टेण्डर) की धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि/ प्रथम किश्त के रूप में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त अवशेष धनराशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत पैंतेपुर, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत अवस्थित स्थल-जंगलीनाथ मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के कार्य	111.92	111.92	30.00	81.92
2	नगर पंचायत मिरहची, एटा के अन्तर्गत अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं के कार्य	111.19	111.06	35.00	76.06
3	नगर पंचायत गरौठा, झांसी के अन्तर्गत अवस्थित स्थल-अगड़धत्ता मन्दिर तक घाट का निर्माण एवं अगड़धत्ता मन्दिर (श्री रामजानकी मन्दिर) के सौन्दर्यीकरण के कार्य'	200.00	198.62	50.00	148.62
4	नगर पंचायत कुरावली, जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत अवस्थित स्थल-गमा देवी मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के कार्य'	118.53	118.41	60.00	58.41
5	नगर पंचायत कांट, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत अवस्थित स्थल-मॉ शीतला देवी मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के कार्य	180.75	178.71	48.00	130.71
6	नगर पंचायत बांसगांव, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत अवस्थित स्थल-गायत्री मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के कार्य	160.39	160.36	84.00	76.36
7	नगर पंचायत शिवली, जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत अवस्थित स्थल-श्री जागेश्वर मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के कार्य'	140.40	140.40	80.00	60.40
		कुल योग	**1019.48**	**387.00**	**632.48**

i. उक्त स्वीकृतियाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्गत की जा रही है।

ii. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ०प्र० द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को 03 कार्यदिवस में सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि को संबंधित निकाय को प्रदान की जायेगी।

iii. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय की होगी तथा संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

iv. स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

v. निकाय स्तर पर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कराये जाने का दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी का होगा। संबंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यों के विषयगत योजना से संबंधित डायरी तैयार कर दिन प्रति दिन के कार्यों का विवरण दर्ज कराते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।

vi. जिला स्तर पर विषयगत योजना हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अपने जिले से संबंधित समस्त योजनाओं का त्रैमासिक रूप से कराये गये कार्यों का निरीक्षण कराते हुए गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

vii. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
viii. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
ix. शासनादेश संख्या-1009/9-1-2025/002-comp.no 1876780 दिनांक 17.03.2025 एवं संख्या-1268/9-1-2025/003 comp no. 1876780, दिनांक 30.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कार्यदायी विभाग द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **₹632.48 लाख (रूपये छः करोड़ बत्तीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001100 प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 27-03-2026
15:55:19

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनाँक तदैव।</u>

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
2. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र०, प्रयागराज।
4. संबंधित जिलाधिकारी।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (शहरी) लखनऊ।
6. राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उ०प्र० लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
8. समस्त संबंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
9. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।